न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0 34 / 2023

तारीख दायरा 28.12.2023

तारीख फैसला 18-9-2025

पीठासीन अधिकारी–दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1 घांसीलाल पुत्र पांचूलाल जाति धाकड निवासी रेलगांव तहसील दीगोद जिला कोटा

(प्रार्थी)

बनाम

1. अनिल पुत्र बलराम जाति धाकड निवासी रेलगांव तहसील दीगोद जिला कोटा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब दीगोद जिला कोटा

(प्रतिपक्षीगण)

प्रार्थी की ओर से – श्री सुरेन्द्र दाधीच एडवोकेट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट बाबत रास्ता खुलासा कराये जाने हेतु

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने उपरोक्त शीर्षक का प्रार्थना पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

1– यह कि वाके माल ग्राम रेल ने कसा नया २० पुराना न० 1333 / 1415 रकबा 1.20 ह० ख०न० 1361 रकबा 0.78 ह० खान 17 रकबा 1.47 हे0 कुल किता 3 रकबा 3.45 हे0 भूमि स्थित है। जो नकल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 से प्रमाणित है।

2– उक्त आराजियात में प्रार्थी अपने परिवार कृषि कार्य कर जीव यापन करता है खसरा नं0 1361 रकबा 0.78 हे० भूमि पर कृषि कार्यकर जाने के लिए नजदीकी खेत वालो ने रास्ता अवरूद्ध कर दिया ह

3– यह कि प्रार्थी आम रास्ता ख0न0 1312 से होकर धोरी काकड़ से ख न० 1358 व ख0नं0 1362 के मध्य से होकर प्राथी ख०न० 136 में कान करने आता है ट्रेक्टर व कृषि यन्त्र तथा हार्वेस्टर इत्यादि वगैरहा लेकर काश्त करने के लिए जाता है लेकिन ख0नं0 1362 के खातेदार द्वार अप्रार्थी क्रम 1 ख0नं0 1362 खातेदार होने से निकलने नहीं दे रहा है प्राशी ख0नं0 1358 व 1362 के मध्य 15 फुट रास्ता चाहता है।

4– यह कि प्रार्थी ख0न0 1358 व 1362 के मध्य 15 फुट रास्ता दिलाया जावे प्राथी के पास वैकल्पिक रास्ता नहीं है प्राथर्थी रास्त की भूमि की डी एल सी दर से राशि जमा करवाने के लिए तैयार है।

5— यह कि प्रार्थी के खेत का रास्ता अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा बन्द कर दिये जाने से अपने खेत में आने जाने के लिए काफी परेशानी हो रही है प्रार्थी खेत पर नही आ जा पा रहा है, प्रार्थी का खेत पडत रहने की समस्या है।

6— यह कि प्रार्थिया के खेत का रास्ता बन्द होने से प्रार्थिया अपनी जमीन में बुवाई करने व खाद बीज ले जाने के लिए ट्रेक्टर व कटाई के लिए हार्वेस्टर ले जाने का कही रास्ता नहीं है प्रार्थी की उक्त जमीन पडत रहने की नौबत आ गई है। प्रार्थी को अप्रार्थी क्रम । के खाते की भूमि ख0न0 1362 में से ख0न0 1358 के मध्य होकर 15 फुट चौडा रास्ता कायम किया जाये।

7— यह कि प्रार्थन्ना पत्र पेश करने का कारण दिनांक 20—12—2001 6 उक्त भूमि पर रास्ता कायम करने के लिए अप्राथी क्रम 2 ने कहा का प्रत्यक पत्र न्यायालय में पेश करने को कहा इसलिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन हे कि प्रार्थी के ख०1० 1361 से होकर खसरा नं0 1358 व ख0न0 1362 के मध्य से होकर 15 पाट चौडा रास्ता अप्राथी क्रम 1 व 2 के खाते की भूमि में से दिलाय जावया राजस्व रिकार्ड में रास्ता तरमीम किया जावे. रास्ता को राजस्व रिकार्ड अंकन किया जावे। रास्ता परम्परागत रूप से उसके अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें तथा वैकल्पिक रूप से प्रार्थी डी.एल.सी. दर से राशि स्था करने के लिए तैयार है।

प्रार्थी की ओर से संलग्न दस्तावेज

1. नकल जमाबंदी ग्राम रेल संवत 2075—78 खाता स0 नया 354
2. नकल जमाबंदी ग्राम रेल संवत 2075—78 खाता स0 नया 99
3. नकल नक्शा ख0न0 1361
4. नकल प्रशासन गांवों के संग कम्प रेलगांव प्रार्थना पत्र

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षीगण की तलबी विधिवत करवायी गई। प्रकरण में जवाब सरकार प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिपक्षी 1 की ओर से श्री ललित मालव एडवोकेट द्वारा UT दी गइ किन्तु पर्याप्त अवसर मिलने के उपरान्त भी वकालतनामा प्रस्तुत ना करने के कारण प्रतिपक्षी 1 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थना पत्र को बहस पर नियत किया गया। प्रकरण मे प्रार्थी अभिभाषक की बहस के कथनों पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार जवाब व अन्य दस्तावेजात के आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन उपरान्त प्रथम दृष्ट्या यह जाहिर होता है कि मौके पर वर्तमान रिकार्ड में रास्ता दर्ज नही है। तहसीलदार दीगोद की रिपोर्ट अनुसार वादी को ख0न0 1361 से ख0न0 1312 गै0 मु0 रास्ता पर जाने के लिए अन्य कोई वेकल्पिक रास्ता नहीं होना एवं सबसे नजदीकी रास्ता ख0न0 1362,1358,1458 / 1357 से होकर जाना स्पष्ट किया है। प्रार्थी को अपने खेत में जाने एवं कृषि उपकरणों को लाने व ले जाने हेतु खसरा नम्बर 1362,1358,1458 / 1357 में होते हुये 4 मीटर चोड़ा रास्ते को कायम किये जाने व उसका अंकन राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी घासीलाल पुत्र पांचूलाल जाति धाकड निवासी रेलगांव तहसील दीगोद जिला कोटा को प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर ख0न0 1361 से ख0न0 1312 गै0 मु0 रास्ता भूमि पर पहुंचने के लिये खसरा नम्बर 1362,1358,1458/1357 में होते हुये 4 मीटर चौडा रास्ते हेतु प्रार्थी के रास्ते के उपयोग एवं उपभोग में आयी भूमि का नियमानुसार माप करते हुए प्रतिपक्षीगण को डी0एल0सी0 दर का दुगना से मुल्यांकन किया जाकर नियमानुसार राशि का भुगतान किया जावे तथा नियमानुसार प्रस्तावित रास्ता राजस्व रिकार्ड मे कायम करते हुए नक्शा मे दर्शाया जावे।

निर्णय आज दिनाक 18/9/25 को ग्रामीण सेवा शिविर ग्राम रेल में मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद